न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या – 2/2016 एवं 7/ 2016 जिला दौसा ।

श्रीमती अंगूरी देवी पुत्री रामदयाल पत्नी कैलाश चन्द, जाति जांगीड ब्राह्मण, निवासी महुखेडा, तहसील बसवा, जिला दौसा ।

अपीलान्ट

बनाम

1. राहुल पुत्र दिलीप कुमार
2. गौरव पुत्र दिलीप कुमार
3. सौरव पुत्र दिलीप कुमार
   जाति जांगिड, निवासी मालवीय नगर सैक्टर नं. 3 ,मकान नं. 654, जयपुर
4. ग्रम पंचायत महुखुर्द जरिये सचिव, ग्रम पंचायत महुखुर्द, तहसील बसवा।

रेस्पोंडेन्ट्

अपील विरूद्ध निर्णय उप जिला कलक्टर बांदीकुई, जिला दौसा मु.नं. 3/12 दिनांक 27.11.2015 उनवानी श्रीमती अंगूरी देवी बनाम राहुल वगै. बाबत नामांतरकरण संख्या 235 ग्रम पंचायत महुखुर्द दिनांक 5.1.2012

अपील संख्या – 7/ 2017 जिला दौसा ।

श्रीमती अंगूरी देवी पुत्री रामदयाल पत्नी कैलाश चन्द, जाति जांगीड ब्राह्मण, निवासी महुखेडा, तहसील बसवा, जिला दौसा ।

अपीलान्ट

बनाम

1. राहुल पुत्र दिलीप कुमार
2. गौरव पुत्र दिलीप कुमार
3. सौरव पुत्र दिलीप कुमार
   जाति जांगिड, निवासी मालवीय नगर सैक्टर नं. 3 ,मकान नं. 654, जयपुर
4. ग्रम पंचायत महुखुर्द जरिये सचिव, ग्रम पंचायत महुखुर्द, तहसील बसवा।

रेस्पोंडेन्ट्

अपील विरूद्ध निर्णय उप जिला कलक्टर बांदीकुई, जिला दौसा मु.नं. 4/12 दिनांक 27.11.2015 उनवानी श्रीमती अंगूरी देवी बनाम राहुल वगै. बाबत नामांतरकरण संख्या 372 ग्रम पंचायत महुखुर्द दिनांक 5.1.2012

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री अशोक कुमार शर्मा
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री सत्येन्द्र सिंह राठौड

निर्णय

दिनांक 18.12.2018

यह दोनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई, जिला दौसा के निर्णय क्रमशःमु.नं. 3/12

दिनांक 27.11.2015 उनवानी श्रीमती अंगूरी देवी बनाम राहुल वगै. बाबत नामांतरकरण संख्या 235 ग्रम पंचायत महुखुर्द दिनांक 5.1.2012 एवं मु.नं. 4/12 दिनांक 27.11.2015 उनवानी श्रीमती अंगूरी देवी बनाम राहुल वगै. बाबत नामांतरकरण संख्या 372 ग्रम पंचायत महुखुर्द दिनांक 5.1.2012 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । दोनों अपीलों के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन दोनों अपीलों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है । निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में रखी जावे । दोनों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम महुखेडा, तहसील बानसूर, जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 374 रकबा 1.08 एवं ग्रम महुकला , तहसील बानसूर, जिला दौसा स्थिति आराजी खसरा नम्बर 466/663 कुल किता 5 कुल रकबा 1.37 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्से का खातेदार रामदयाल पुत्र भौरी लाल रहन पी.एन.बी. था । खातेदार रामदयाल के फौत होने पर पटवारी हल्का द्वारा विरासत के प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या क्रमशः 235 एवं 372 अंगूरी देवी पुत्री रामदयाल पत्नि कैलाश चन्द हिस्सा 1/4 एवं गौरव, राहुल, सोरव पुत्र दिलीप कुमार नवासा रामदयाल जांगिड हिस्सा 1/4 रहन पी.एन.बी. के नाम भरे गये , जो ग्रम पंचायत महुखुर्द द्वारा दिनांक 5.1.2012 को स्वीकार किये गये ।

उक्त नामांतरकरण संख्या 235 ग्रम महूखेडा एवं 372 ग्रम महुखुर्द दिनांक 5.1.2012 से व्यथित होकर मृतक खातेदार रामदयाल की पुत्री अपीलान्ट अंगूरी देवी द्वारा पृथक पृथक अपीलें न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई के समक्ष प्रस्तुत की । अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.11.2015 द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण मृतक रामदयाल पुत्र भौरी लाल के कोई पुत्र संतान नहीं होने (जो अपीलान्ट ने अपील में भी कथन किया है) पर उनकी पुत्री अपीलान्ट व अपीलान्ट की मृतक बहिन श्रीमती कमला के पुत्र रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 के नाम विधिवत प्रकिया अपना कर नामांतरकरण पृष्ठ पर सजरा अंकित कर खोला जाना प्रकट होने एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत फैसल किये जाने से अपील अपीलान्ट पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार की है ।

प्रतिलिपि संभागीय आयुक्त जयपुर

उप जिला कलक्टर बांदीकुई के उक्त निर्णयों के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा यह पृथक पृथक दोनों अपीलें प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय एवं नामांतरकरण संख्या 235 दिनांक 5.1.2012 एवं नामांतरकरण संख्या 372 दिनांक 5.1.2012 गाम पंचायत महुखुर्द निरस्त किये जाकर मृतक कमला देवी के हिस्से की भूमि का नामांतरकरण अपीलान्ट के पक्ष में दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की ।

दोनों अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्रम महुखेडा व महुकला स्थित आराजी के खातेदार अपीलान्ट के पिता रामदयाल थे । अपीलान्ट विवादित भूमि पर अपने पिता रामदयाल के जीवनकाल से ही रहती चली आ रही है तथा सम्पूर्ण भूमि पर काबिज काश्त है । उनका कहना था कि अपीलान्ट की बहिन कमला देवी ने कभी विवादित भूमि पर काश्त नहीं की तथा कमला देवी के

पुत्रों रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 अपने नाना रामदयाल के उत्तराधिकारी नहीं है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 की उप धारा 2 (9) के अनुसार महिलाओं को अपने पिता से प्राप्त सम्पत्तियां उनके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी नहीं रहने पर उनके पिता के द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारियों को प्राप्त होती है । विवादित भूमि निर्विवादित रूप से कोपार्सनरी भूमि रही है । इस कारण रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 का विवादित भूमि में कानूनन कोई हक व अधिकार नहीं है । ग्रम पंचायत ने कानून के विपरीत जाकर मृतक खातेदार रामदयाल की विरासत के प्रश्नगत नामांतरकरण रामदयाल की पुत्री कमला के पुत्रों यानी रामदयाल के नवासों रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 के नाम तस्दीक करने में विधिक त्रुटि की है तथा ऐसे विधि विरूद्ध नामांतरकरणों के खिलाफ अपीलान्ट की अपीलें अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई ने निर्णय दिनांक 27.11.2015 द्वारा खारिज करने में गम्भीर कानूनी भूल की है । ऐसी स्थिति प्रश्नगत नामांतरकरण एवं अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध, त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश एवं प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त किये जावे तथा मृतक रामदयाल की विरासत के प्रश्नगत नामांतरकरण अपीलान्ट के नाम किये जाने के आदेश पारित किये जावे ।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि का खातेदार रामदयाल था जिसके कोई पुत्र सन्तान नहीं होकर केवल दो पुत्रियॅा अंगूरी देवी व कमला देवी ही थी । कमला देवी फौत होने से रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 उसके पुत्रान है । खातेदार रामदयाल के फौत होने पर उसकी विरासत के प्रश्नगत नामांतरकरण ग्रम पंचायत द्वारा रामदयाल का सजरा अंकित करते हुये मृतक खातेदार रामदयाल की पुत्री अपीलान्ट अंगूरी देवी व दूसरी पुत्री कमला (फौत) के पुत्रान रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 राहुल, गौरव व सौरव के नाम तस्दीक किये हैं , जो विधिसम्यक है । उनका कहना था कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुत्रियों को अपने पिता की सम्पत्ति में हक प्राप्त करने का विधिक अधिकार है । रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 की माता कमला देवी विवादित भूमि के खातेदार रामदयाल की जायन्दा पुत्री है एवं इस संबंध में कोई विवाद नहीं है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई ने अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत फैसल किया जाना मानते हुये अपीलान्ट की अपीलें पोषणीय नहीं होने से खारिज की है , जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार रामदयाल की विरासत के नामांतरकरणों का है । मृतक खातेदारा रामदयाल की विरासत के प्रश्नगत नामांतरकरण ग्रम पंचायत द्वारा मृतक खातेदार रामदयाल की पुत्री अपीलान्ट अंगूरी देवी व दूसरी पुत्री कमला (फौत) के पुत्रान रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 के नाम बहिस्सा 1/4–1/4 तस्दीक किये गये है । प्रश्नगत नामांतरकरणों के खिलाफ अपीलान्ट की अपीलें अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई के निर्णय दिनांक 27.11.2015 द्वारा

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रश्नगत नामांतरकरण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत फैसल किया जाना मानते हुये पोषणीय नहीं होने से खारिज की है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि प्रकरण में विवादित भूमि के मृतक खातेदार रामदयाल की विरासत के प्रश्नगत नामांतरकरण ग्रम पंचायत द्वारा रामदयाल के कोई पुत्र सन्तान नहीं होने से उसकी पुत्रियॅा अंगूरी व कमला (फौत) के पुत्रान गौरव, राहुल व सौरव के नाम तस्दीक किये हैं तथा इन प्रश्नगत नामांतरकरणो के खिलाफ अपीलान्ट अंगूरी देवी की अपीलें अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.11.2015 द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण मृतक रामदयाल पुत्र भौरी लाल के कोई पुत्र संतान नहीं होने (जो अपीलान्ट ने अपील में भी कथन किया है) पर उनकी पुत्री अपीलान्ट व अपीलान्ट की मृतक बहिन श्रीमती कमला के पुत्र रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 के नाम विधिवत प्रकिया अपना कर नामांतरकरण पृष्ठ पर सजरा अंकित कर खोला जाना प्रकट होने एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत फैसल किये जाने से अपील अपीलान्ट पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार की है । ऐसी स्थिति में हम उप जिला कलक्टर बांदीकुई के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.11.2015 उचित एवं विधिसम्यक होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप दोनों अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर